न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हँसमख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 38/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्राथी
1– चम्पतलाल पुत्र श्री मीठालालजी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही
2– रमणलाल पुत्र श्री मीठालालजी		
3– मणीलाल पुत्र श्री मीठालालजी		
4– अशोककुमार पुत्र मीठालालजी		
5– कमलेश कुमार पुत्र श्री मीठालालजी		
6– पंकजकुमार पुत्र श्री मीठालालजी		
7– संगीता देवी पुत्री श्री मीठालालजी		

सभी उम्र व्यस्क सर्व निवासीयान सनवाडा
तहसील रेवदर जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह आढा
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.) सत्यमेव जयते

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु

निर्णय दिनांक 25–11–2020

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु दिनांक 5–7–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि गांव आमली पटवार क्षैत्र वेलांगरी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 433 रकबा 2.5900 हैक्टेयर कुल किता एक रकबा 0.9500 हैक्टेयर आई हुई है। वर्णित राजस्व आराजी मे प्रार्थीगण का संयुक्त व अविभक्त हक हिस्सा दर्ज है प्रार्थीगण संयुक्त रूप से वर्णित कृषि भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है जिसकी जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न है। वर्तमान मे जंगली जानवर, नील गायों तथा आवारा मवेशी का काफी आंतक है जिससे प्रार्थीगण की फसल को नुकसान होता है इन आवारा मवेशियों नील गायो तथा जंगली जानवरों से फसल की रक्षा हेतु प्रार्थीगण अपने उक्त खातेदारी कृषि आराजी के चारो तरफ तारबंदी व पत्थरगढी निकालना चाहते है भविष्य मे अन्य खातेदारान के सीमा को लेकर कोई विवाद न रहे जिस हेतु प्रार्थीगण वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा किसी भी अन्य पक्षकार के हितो पर विपरित प्रभाव नही पडेगा ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 197 खसरा नंबर 433 किता 1 रकबा 2.5900 हैक्टेयर व नक्शा ट्रेस प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दिनांक 5–7–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसील[illegible] को जवाब पेश करने हेतु नोटिस कमांक 3219 दिनांक 5–7–2019 जारी किया [illegible] 8–2019 को तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी [illegible] पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दिये तथा सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन [illegible]यावधि व्यतीत होने से आगे समय दिया जाना उचित नही ह[illegible] अप्रार्थी स्टेट तहसील[illegible]ही का जवाब न्यायालय द्वारा आज दिनांक 24–11–2020 को दौराने सुनवाई अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का जवाब बंद किया गया । दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा विचारण प्रकरण मे आज ही अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व उक्त जमाबंदी व नक्शा ट्रेस का भी अवलोकन कर

उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान मे जंगली जानवर, नील गायों तथा आवारा मवेशी का काफी आंतंक है जिससे प्रार्थीगण की फसल को नुकसान होता है इन आवारा मवेशियों नील गायो तथा जंगली जानवरों से फसल की रक्षा हेतु प्रार्थीगण अपने उक्त खातेदारी कृषि आराजी के चारो तरफ तारबंदी व पत्थरगढी निकालना चाहते है भविष्य मे अन्य खातेदारान के सीमा को लेकर कोई विवाद न रहे जिस हेतु प्रााीगण वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा किसी भी अन्य पक्षकार के हितो पर विपरित प्रभाव नही पडेगा । प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा व प्रभावशाली व्यक्ति अतिक्रमण नही करे इस हेतु प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराकर उस पर पत्थरगढी करवाने का विधि सम्मत अधिकार है। अन्यथा प्रकरण मे अन्य समस्याऐ जन्म लेकर प्रकरण कानूनी अडचने पडने की संभावना रहती है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट 1956 का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 197 खसरा नंबर 433 रकबा 2.5900 हैक्टेयर का प्रार्थीगण द्वारा आवेदन करने पर सशुल्क नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करें तथा प्रार्थीगण को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाने हेतु नियमानुसार तहसीलदार सिरोही के कार्यालय मे आवेदन करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–11–2020 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

लैण्ड रिकॉर्ड आफिसर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested